निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 99 / 2019 तारीख दायरा 20.12.2019

उनवान

टीना गुर्जर बृजमोहन पत्नी राकेश कुमार जाति गुर्जर निवासीनी खटिको की गली वार्ड नं0 20 सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राज0। – वादीगण –

–:: बनाम ::–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा। – प्रतिवादीगण –

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट

उपस्थित :–

श्री बाबूलाल नागर (वकील वादी) दिनॉक :– 18.11.2020

श्री सरकार पैरोकार

––:: निर्णय ::––

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण द्वारा एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादिनी के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की मालग्राम मोईखुर्द पटवार हलका किशनपुरा के खसरा नं0 167 की 2.18 हैक्टर, खसरा नं0 513 की 0.12 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 2.30 हैक्टर आराजीयात स्थित है। जिसमें वादिनी बतौर सहखातेदार राजस्व रेकार्ड में किशना पुत्री बृजमोहन अन्य भाई बहिनों के साथ नाम दर्ज हो रहा है।

वादिनी का परिवार में बोलचाल में नाम किशना होने से राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज हो गया है। जबकि अन्य पहचान के दस्तावे में वादिनी का नाम टीना गुर्जर दर्ज हो रहा है। वादिनी के पहचान दस्तावेज वोटर आई0डी0, आधार कार्ड, शिक्षा दस्तावेज, परिवार राशन कार्ड सभी में टीना गुर्जर ही नाम दर्ज हो रहा है। दोनों नाम वादिनी के होने से वादिनी को राजस्व कार्य में अन्य कार्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:25:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। जिससे वादिनी को राजकीय सहायता व अन्य बहुपयोगी सहायता नहीं मिल पा रही है, जिसकी वादिनी हकदार है।

वादिनी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में किशना के स्थान पर दुरस्त कर टीना गुर्जर किये जाने में वादिनी की सम्पूर्ण समस्याओं का समाधान हो रहा है, इस प्रकार दुरस्त करने से प्रतिवादी को किसी प्रकार की हानि व नुकसान नहीं है।

गलती को दुरस्त करने के लिये वादिनी ने तहसीलदार साहब सांगोद को आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार साहब सांगोद ने माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत करने के लिये निर्देश दिया गया। वादिनी द्वारा हलका पटवारी व तहसीलदार सांगोद से एक सप्ताह पूर्व उक्त नाम दुरस्त करने के लिये निवेदन करने पर एवं प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट रूप से मना कर देने पर माननीय न्यायालय में वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की घोषणा की डिक्री वादिनी के हक में पारित फरमायी जावे कि :–

वादिनी के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की मालग्राम मोईखुर्द पटवार हलका किशनपुरा के खसरा नं0 167 की 2.18 हैक्टर व खसरा नं. 513 की 0.12 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 2.30 हैक्टर आराजी में वादिनी का नाम किशना के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में टीना गुर्जर किये जाने के आदेश पारित फरमाये जावें, उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दुरस्त कर डिक्री पर्चा जारी किया जावें।

उक्त आशय का वाद पेश होने पर वाद को दर्ज कर प्रतिवादी की तलबी की गई। उक्त प्रकरण मे प्रतिवादी को सूचना हो चुकी है। वकील वादी द्वारा ग्राम विकास अधिकारी पं.स. किशनपुरा द्वारा जारी प्रामण पत्र पेश किया गया। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित कथनो को दौहराते हुए संलग्न दस्तावेजात के आधार पर वाद को डिक्री किये जाने की प्रार्थना की।

पत्रावली के अवलोकन से मैनें यह पाया कि पत्रावली मे जो दस्तावेज, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, शिक्षा संबंधी दस्तावेज, ग्राम विकास अधिकारी पं.स. किशनपुरा द्वारा जारी प्रामण पत्र आदि उपलब्ध है उससे यह प्रतीत होता है कि वाद स्वीकार किये जाने योग्य है, जो कि स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिक्री किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:25:13 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि –

उपखण्ड अधिकारी

वादिनी के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की मालग्राम मोईखुर्द पटवार हलका किशनपुरा के खसरा नं0 167 की 2.18 हैक्टर व खसरा नं. 513 की 0.12 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 2.30 हैक्टर आराजी में वादिनी का नाम किशना के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में टीना गुर्जर किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर खाते में अमल दरामद किया जावें। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सॉंगोद जिला कोटा
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:25:13 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनॉक 18.11.2020 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सॉंगोद जिला कोटा
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद